

राजभिप्र/उक्तिस/फ-3/शूटी-24/2000/एमएड/ K.O.55

दिनांक : 22.09.2000

पारस के संस्थान पत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

कुं० आर.सी. महिला महाविद्यालय, गैलमुरी- 205001, उत्तर प्रदेश ने संस्था में बार्यात्र एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 19.5.2000 को आवेदन किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 24.5.2000 को प्राप्त हुआ।

संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्र को उत्तर क्षेत्रीय समिति ने दिनांक 8-9 मई, 2000 को सम्पन्न हुई 25 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर पाया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एमएड पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मिमिलित कमियों हैं।

क्रम.	संस्था में पाई गई कमियों
1	संस्था को बीएड और एमएड के लिए कुल 11 रीडर/ब्याघ्याताओं की आवश्यकता है। जबकि संस्था के यास 7 ब्याघ्याता है। केवल बीएड, केवल एमएड संधा बीएड व एमएड वे पढ़ाने वाले रीडर/ब्याघ्यातों की सूची मय योग्यता, उनके स्नातकोत्तर डायाफि के विषय एवं प्रामाणिक, नैट या समकक्ष उपाधि, पीएचडी/एमफिल की दियी प्राप्त करने का वर्ष, उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों जारी का विवरण नहीं भेजा है। इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि एमएड के लिए परिषद् मानदंडों के पैरा 2.1 के अनुसार एमएड की न्यूनतम 25 सौरों तक निर्धारित योग्यता एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/यूजीसी द्वारा निर्धारित बेतन शुरूला में विधिवत गतित जनन संघिति द्वारा चयनित नियमित एवं पूर्णकालिक 1 प्रोफेसर, 2 रीडर व 2 प्राच्यापक संस्था में हैं यह नहीं। नूरीक बीएड व एमएड की याची मय समस्त मूलनाओं के अलग से प्रेषित नहीं की है। अतः एमएड हेतु उक्त टीचिंग स्टाफ की कमी है। अतः परिषद् मानदंडों के पैरा 2.1 के अनुसार दो रीडर और दो ब्याघ्याताओं की कमी है।
2	परिषद् मानदंडों के पैरा 3.1 के अनुसार एमएड पाठ्यक्रम हेतु अलग से दो फ़िकल्टी बक्ष नहीं हैं।
3	परिषद् मानदंडों के पैरा 3.5.1 के अनुसार पुस्तकालय में एमएड सत्र वी भूस्तकों व जारनल्स की कमी है।

अतः संस्था को उपरोक्त कमियों के संतर्भ में लिमिट अभ्यागेन प्रस्तुत करने के लिए परिषद् अधिनियम की घास 14.(3)(च) के तहत नोटिस-प्रेसित बत दिया जाए, तथा सन् 2000-2001 में उत्तर क्षेत्रीय समिति के द्वारा मान्यता मिलने तक प्रवेश नहीं करने के लिए भी लिख दिया जाए। समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय के परिणाम में संस्था वे पत्र क्रमांक राज्यिप्र/उक्तिस/फ-3/शूटी-24/एमएड/2000/1580-1593 दिनांक 16.5.2000 प्रेषित किया गया था। जिसमें उपरोक्त कमियों को सूचित किया गया था। तथा सन् 2000-2001 में उत्तर क्षेत्रीय समिति के द्वारा मान्यता मिलने तक एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश न करने के लिए भी लिखा था। संस्था से समिति कार्यालय के द्वारोक्त संनिहित प्रम दिनांक 16.5.2000 का उत्तर संस्था ने पत्र दिनांक 2.6.2000 के द्वारा दिया। संस्था द्वारा प्रेषित उत्तर, आवेदन-पत्र संलग्न दस्तावेजों, याची, अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्वान जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आवित उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 मई, 2000 को सम्पन्न हुई 27 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गये हैं। समिति ने प्रकरण पर विनाश कर पाया कि विनाशकालय में परिषद् मानदंडों के अनुसार एमएड पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक नहीं हैं। अतः संस्था को अध्यापक नियुक्त करने के लिए पत्र लिख दिया जाए तथा जल तक सौटे अमुमोदित न की जाए। समिति के नियन्यानुसार संस्था को क्रमांक राज्यिप्र/उक्तिस/फ-3/शूटी-24/एमएड/2000/5429-33 दिनांक 1.8.2000 प्रेषित किया गया था। संस्था हो उक्त पत्र के संतर्भ में प्राप्त पत्र दिनांक 1.7.8.2000 को प्राप्त हुआ। संस्था द्वारा प्रेषित उत्तर, आवेदन-पत्र मंलग्न दस्तावेजों, याची अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्वान जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, यायपुर - 302 004

कार्यालय : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004

Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

坐北朝南

17

1. प्राचीन विद्या का अध्ययन एवं उसके विकास का अध्ययन

2. प्राचीन विद्या का अध्ययन एवं उसके विकास का अध्ययन

3. प्राचीन विद्या का अध्ययन एवं उसके विकास का अध्ययन

4. प्राचीन विद्या का अध्ययन एवं उसके विकास का अध्ययन

5. प्राचीन विद्या का अध्ययन एवं उसके विकास का अध्ययन

6. प्राचीन विद्या का अध्ययन एवं उसके विकास का अध्ययन

7. प्राचीन विद्या का अध्ययन एवं उसके विकास का अध्ययन

(GILBERT KIRK) 1952-1953

卷之三

107-108

— 13 —

第13章

(2023-07-05)

Вывод

1 / 4

1. *What is the main theme of the book?*

On the 20th of October, 2000, the Plaintiff filed a Motion for Summary Judgment.